यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ट होगा ।
–अज्ञात।

विचार-प्रवाह
देहरादून, बुधवार, 24 नवंबर 2021
पेज थ्री
www.page3news.in

जिंदगी के कीमती साल कम

चीन जैसे देश वायु प्रदूषण को कम करने में शानदार सफलता हासिल कर चुके हैं। हमें यह भी समझना होगा कि वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए नैशनल क्लीन एयर जैसे प्रोग्राम को सख्ती से लागू करना होगा।

मनोज सिंह।।

अमेरिका स्थित एक रिसर्च ग्रुप एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (एपिक) की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली समेत मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत में रह रहे 48 करोड़ से ज्यादा लोगों को खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण की कीमत अपनी जिंदगी के कीमती साल कम करते हुए चुकानी पड़ सकती है। रिपोर्ट कहती है कि करीब 40 प्रतिशत भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में खराब हवा के चलते 9 साल से भी ज्यादा की कटौती होने वाली है। यही नहीं, प्रदूषित हवा का दायरा पहले से ज्यादा फैलते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी चपेट में ले रहा है। मगर रिपोर्ट का यह आकलन साल 2019 की स्थिति पर आधारित है। तब भारत की हवा में पीएम (पर्टिक्युलेट मैटर) की औसत मात्रा 70.3 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पाई गई थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तो थी ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा तय मानक से सात गुना अधिक थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इसी स्तर पर टिकी रहेगी या धीरे–धीरे हालात और बदतर होंगे?

हवा में बढ़ता प्रदूषण हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 2020 में एक स्विस ग्रुप आईक्यूएयर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में दिल्ली को लगातार तीसरे साल दुनिया की प्रदूषित राजधानी बताया गया था। पिछले साल गर्मियों में सख्त लॉकडाउन के चलते अपेक्षाकृत साफ हवा में सांस लेने वाली दिल्ली ने ठंड के दिनों में वैसा ही प्रदूषण झेला था। आसपास के राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में जानलेवा स्मॉग फैलता है, सब जानते हैं, लेकिन मामला ऑड–ईवन के जरिए कुछ दिनों तक ट्रैफिक का जोर कम करने और कंस्ट्रक्शन के काम पर कुछ समय की रोक लगाने जैसे तात्कालिक उपायों से आगे नहीं बढ़ता। अच्छी बात यह है कि यह रिपोर्ट मामले की गंभीरता बताने के साथ–साथ भविष्य की बेहतर तस्वीर भी दिखाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने नहीं बिगड़े हैं कि सुधारे न जा सकें। इस लिहाज से यह खास तौर पर भारत सरकार के नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जिक्र करती है, जो 2019 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सबसे ज्यादा प्रभावित 102 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में 20 से 30 फीसदी तक कटौती करना है। रिपोर्ट बताती है कि अगर इस कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे हो गए तो देश में औसतन जीवन प्रत्याशा में 1.7 साल की और दिल्ली में 3.1 साल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चीन जैसे देश वायु प्रदूषण को कम करने में शानदार सफलता हासिल कर चुके हैं। हमें यह भी समझना होगा कि वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए नैशनल क्लीन एयर जैसे प्रोग्राम को सख्ती से लागू करना होगा। हमें स्वच्छ हवा को राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल करना होगा।

ईश्वर के सामने

अशोक वोहरा।

गृहस्थ हंस हंसिनी जैसा हो, जो अतिथि के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे।" इतना कहकर वह चालाक आदमी वहां से चलता बना।

एक किसान था। उसके पास एक बकरा और दो बैल थे। बैलों से वह खेत जोतने का काम लेता। दोनों बैल दिन भर कड़ी मेहनत करके खेतों की जुताई करते थे। इसके उल्टे बकरे के लिए कोई काम तो था नहीं। वह दिन भर इधर–उधर घूमकर हरी–हरी घास चरता रहता। खा पीकर वह काफी मोटा तगड़ा हो गया था। यह देखकर बैल सोचते कि इस बकरे के मजे हैं। कुछ करता– धरता तो है नहीं और सारा दिन इधर–उधर घूमकर खाता रहता है। इधर, बकरा बैलों की हालत देखता तो उसे भी बड़ा दुख होता कि बेचारे सारा दिन हल में जुते रहते हैं और मालिक है कि इनकी ओर पूरी तरह ध्यान नहीं देता।

संपादकीय

व्यक्तिगत पसंद

तलाक की प्रक्रिया में तेजी लाने की राह में अड़चनें बहुत ज्यादा हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि केस में हर तारीख और हर स्थगन से वकीलों की मोटी फीस जुड़ी हुई है। ऊपर जिन बदलावों का जिक्र हुआ है, वे सही दिशा में हैं और बड़े सार्थक हैं। फिर भी इनके रफ्तार पकड़ने के लिए जरूरी है कि समाज में इस सोच को व्यापक मान्यता मिले कि शादी और तलाक व्यक्ति की अपनी पसंद से जुड़े मामले हैं। तलाक के मामले में साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आपसी सहमति से तलाक वाले मामलों में भी छह महीने का जो 'कूलिंग ऑफ' पीरियड दिया जाता है, वह वक्फा अलग होने वालों का दर्द और बढ़ा देता है। फिर भी इस कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देने के मामले इतने कम हैं कि हेडलाइन बन जाते हैं। लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि तलाक आसान होने से विवाह संस्था कमजोर हो जाएगी। लेकिन शादी करने के इच्छुक जोड़ों को तरह–तरह से परेशान करने और तलाक लेने का फैसला कर चुके कपल्स की राह में भांति–भांति के रोड़े डालने से तो यह राय बनती है कि विवाह संस्था को बनाए रखने के लिए अंतहीन और कठोर नियंत्रण जरूरी है। ऐसी मनहूस राय की कोई जरूरत नहीं है।

अदालतों को वैवाहिक अधिकार बहाल करने की ताकत देने वाले स्पेशल मैरिज एक्ट असल में केस मैनेजमेंट के पीछे आम तौर पर काम करने वाले माइंडसेट का परिचय देते हैं।

तारीख पर तारीख

रेणुका बिष्ट।।

इस साल दिल्ली और केरल हाईकोर्टों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन चाहने वालों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी की अनुमति दी है। दूसरी ओर बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने दुबई में फंसी पत्नी और बाली में रहने वाले पति को उनकी आपसी सहमति से तलाक लेने की इजाजत दे दी। सशरीर मौजूदगी पर जोर देने के बजाय इन बेंचों ने कपल्स के लिए अपनी अलग–अलग मर्जी पूरी करने का रास्ता आसान कर दिया। इस तरह देखा जाए तो भले ही महामारी ने शादी पर प्रशासनिक ठप्पा लगवाने वालों या तलाक के लिए अदालत के चक्कर काट रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, पर इन्हीं मुश्किलों की बदौलत ऐसे उपायों को बढ़ावा मिला है जो पूरी तरह लागू हो जाएं तो भारत में शादी और तलाक लेने की प्रक्रिया में आसानी से सुधार हो सकता है।

तलाक चाहने वाले जोड़ों के रास्ते से हटना, जाहिर तौर पर अदालतों के भी हित में है। निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या पहली बार 4 करोड़ को पार कर गई है। यहां तक कि पारिवारिक अदालतें भी, जो कि 1984 में कानून बनने के बाद अस्तित्व में आई थीं और जिनका मकसद वैवाहिक मामलों के आसान और सस्ते समाधान को संभव बनाना था, अब 'तारीख पर तारीख' के उसी जाल में फंस गई हैं, जिसका वे हल निकालने वाली थीं।

सिस्टम से जुड़े जिन विलंबों के सूत्र वयस्क नागरिकों को बच्चा मानने वाली मानसिकता में मिलते हैं, उनका समाधान नागरिकों की पसंद का सम्मान सुनिश्चित करने वाली सोच में तलाशा जा सकता है। जजों को 'विवाह संस्था की रक्षा करने और संरक्षित रखने' की जिम्मेदारी देने वाले फैमिली कोर्ट एक्ट जैसे प्रावधान और अदालतों को वैवाहिक अधिकार बहाल करने की ताकत देने वाले स्पेशल मैरिज एक्ट असल में केस मैनेजमेंट के पीछे आम तौर पर काम करने वाले माइंडसेट का परिचय देते हैं। हालांकि इस तरह की नैतिकता बहस का विषय है, लेकिन इससे उपजी प्रक्रियागत जटिलता को लेकर कोई बहस नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के एक मामले में एक पक्ष को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी दर्ज करने की इजाजत 2007 में ही दे दी थी, लेकिन इस तरह के उदाहरण दुर्लभ हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने चिंता जताई कि क्या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग 'दोनों पक्षों को सुलह के लिए राजी करने' के अदालत के कर्तव्यपालन में रुकावट बन रही है।

यह वास्तव में अदालतों के विवाह संबंधी कार्यों के विवरण को अपडेट करने और प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों को दूर करने का समय है। अगर पैतृक हस्तक्षेप आपसी सहमति वाले तलाक को भी मुश्किल बनाने लग जाएं तो विवाद वाले मामले तो यातना में बदल जाएंगे। हालांकि यहां भी सुधार बहुत सीधा है। उदाहरण के लिए, 'न चल पाने वाले विवाह' को कानूनी समर्थन दें, जैसा कि 1978 में और फिर 2009 में विधि आयोग ने अनुशंसित किया था। 2013 में राज्यसभा ने भी एक संशोधन विधेयक पारित करके इसकी कोशिश की थी। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल से अलग रह रहे एक जोड़े को अलग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। सुप्रीम अदालत ने कहा, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 'शादी पूरी तरह से अव्यावहारिक, भावनात्मक रूप से मृत, बचाव से परे है और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई है। और, इसमें ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं था, जिस पर तलाक दिया जा सकता था।'

अष्टयोग-5084

6	1	4		2		
5	35	3	27	1	28	7
7		5			6	
	31		37	7	34	
	3	6		5	2	4
2	27		41	4	29	
4		7		6		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5083 का हल

4	1	5	6	2	7	3
6	35	6	30	1	32	7
7	5	1	3	6	4	2
1	29	2	31	4	31	5
2	4	7	5	3	6	1
3	29	4	40	5	34	6
5	1	3	6	7	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

गोपनीयता के मौलिक अधिकारों का वजन बढ़ा

मोहन। विवाह पक्ष में सुधार पर, इस जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने यह कहते हुए गरिमा और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों का वजन बढ़ा दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत तीस दिन का नोटिस जारी करने का नियम वैकल्पिक होगा और शादी करने वाले जोड़े चाहें तो यह नोटिस जारी करने के लिए विवाह अधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं। इसने कहा कि पर्सनल लॉ के तहत बड़ी संख्या में होने वाले विवाहों की तुलना में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनाई जाने वाली तीस दिन की इस प्रक्रिया से कोई साफ और सही लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत ने आदेश की एक कॉपी उत्तर प्रदेश के सभी विवाह अधिकारियों को 'तुरंत' भेजने का निर्देश दिया। व्यक्तिगत रूप से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने के विकल्प के साथ यह आदेश उन असुविधाओं में काफी कमी ला सकता है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वालों को अभी झेलनी पड़ती हैं।